निविदा फार्म–विपणन अनुभाग (तकनीकी बोली)

फार्म संख्या [ ] निविदा प्रपत्र मूल्यः–₹1000.00 (एक हजार) (समस्त कर सहित)

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)
किराया वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

फोटो वैकल्पिक

1. मार्ग का नाम :– ....
2. निविदादाता का नाम :– ....
3 आधार कार्ड संख्या – ....(छायाप्रति संलग्न करें)
4. पिता / पति का नाम :– ....
5. स्थायी पता (अनिवार्य):– ....
....
6. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):– ....
....
7. दूरभाष संख्या (अनिवार्य) :– ....
8. जमा अर्नेस्ट मनी विवरण–बैंक का नाम ....
ड्राफ्ट संख्या .... धनराशि .... दिनांक ....
नकद जमा धनराशि–.................................... रसीद संख्या .... दिनांक ....

09. निविदादाता निविदा फार्म के साथ आई0डी0प्रूफ के रूप में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड एक की छायाप्रति संलग्न करें।

10. अदेयता प्रमाण–पत्र संलग्न (हाँ / नही)–..

11. वाहन के प्रपत्रों की वैधता विवरण (निविदा शर्त सं0–5 के अनुरूप) –
(i) आर0सी0 वैधता तिथि – ....
(ii) परमिट वैधता तिथि – ....
(iii) फिटनेस वैधता तिथि – ....
(iv) रोड टैक्स वैधता तिथि – ....
(v) बीमा वैधता तिथि – ....
(vi) प्रदूषण वैधता तिथि – ....

(क) वाहन का प्रकार :– ....माडॅल वर्ष–..
(ख) वाहन पंजीकरण संख्या :– ....पंजीकरण तिथि :– ....
(ग) वाहन स्वामी का नाम :– ....

संलग्नक–आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्ते।

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक ....
पूरा नामः– ....
पता :– ....
....
मोबाईल नं–..

फार्म संख्या– निविदा फार्म–विपणन अनुभाग (वित्तिय बोली)

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)
किराया वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :– ....

2. निविदादाता का नाम :– ....

3. पिता/पति का नाम :– ....

4. स्थायी पता (अनिवार्य):– ....

....

5. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):–...

....

6. वाहन के किराये की दरें दूध, दही छाछ एवं मटठा प्रति लीटर /किग्रा0 कमीशन (अंको व शब्दों में):–

अ– (दूध की दरें) अंकों में :– ₹ ....शब्दों में :– ₹ ....

ब– (दुग्ध उत्पाद की दरें) अंकों में :– ₹ ....शब्दों में:– ₹ ....

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक ....
पूरा नामः– ....
पता :– ....
....
मोबाईल नं–...

<u>आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्ते</u>

1. **एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।** एक वाहन के प्रपत्र एक से अधिक मार्गो की निविदाओं के साथ लगाने पर सम्बंधित मार्गो की निविदाओं को निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
2. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **"विपणन परिवहन हेतु निविदा, "मार्ग का नाम"एवं निविदादाता का नाम"** व **"पता"** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। स्व–हस्ताक्षरित रंगीन फोटो निविदा फार्म में लगाना है।
3. समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल को वरीयता दी जायेगी।
4. निविदा, **प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)** के नाम से निविदा पेटी के माध्यम से निविदाए दिनाँक **23.03.2026 को** अपराह्न **01.00** बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनाँक **23.03.2026** को अपराह्न **01.30** बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेंगी। डाक वितरण में विलम्बं से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
5. वाहन का **मॉडल वर्ष जनवरी, 2013** से कम नहीं होना चाहिये। **<u>निविदा फार्म के साथ वाहन के समस्त प्रपत्र स्व–प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा जो निविदा खुलने की तिथि को अनिवार्य रूप से वैध होनी चाहिए।</u>** निविदा फार्म के साथ वाहन के प्रपत्रों के स्थान पर किसी भी प्रकार के अन्य प्रमाणक जैसे– अप्लाईड फोर/पावर आफ अटार्नी/शपथ पत्र/विक्रय पत्र एवं वाहन से सम्बंधित कम्पनी का कोटेशन मान्य नही होंगे।
6. वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होना चाहिये। <u>निविदा स्वीकृत होने के उपरांत बुलाये जाने पर निविदादाता को वाहन के समस्त मूल वैध प्रपत्रों</u> के साथ निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना अनिवार्य होगा, तदोपरांत की कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निविदादाता को अनिवार्य रूप से वाहन सहित मुख्य कार्यालय खटीमा, अवशीततन केन्द्र रूद्रपुर एवं अवशीतन केन्द्र बाजपुर में उपस्थित होना होगा।
7. **यू0सी0डी0एफ0** की वैबसाईट www.ucdfaanchal.org से निविदा डाउनलोड की जा सकती है। निविदा फार्म की जमा धनराशि ₹ **1000.00** की अतिरिक्त रसीद की मूल या छाया प्रति/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. संस्था के **विपणन अनुभाग** के पूर्व/वर्तमान परिवहनकताओं को निविदा प्रपत्र के साथ प्रभारी विपणन एवं प्रभारी वित्त से संतोषजनक कार्य एवं अदेयता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अदेयता प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
9. जिस मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जाना होगा, ऐसे मार्गों पर **कैश कलैक्श्न** चार्ज ₹ **3.00** (तीन) रूपया प्रति हजार की दर से देय होगा। कैश कलैक्श्न की धनराशि मॉह के अन्त मे दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की पूर्ण धनराशि जमा करने पर ही देय होगी। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की शत्–प्रतिशत वसूली का दायित्व निविदादाता का होगा तथा इस हेतु वह वैधानिक रूप से भी उत्तरदायी होगा तथा किसी भी परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की बिक्री की धनराशि जमा न करने पर मार्ग प्रभारी/प्रभारी विपणन की संस्तुति के आधार पर प्रधान प्रबन्धक को वैधानिक कार्यवाही(**आर0सी0 के माध्यम से वसूली कराने एवं वाहन हटाने**)का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. **अनुबंध की अवधि 01** (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरांत संस्था एवं निविदादाता की आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि तीन–तीन माह हेतु दो बार (अधिकतम **06** माह) बढ़ायी जा सकती है।
11. **विपणन मार्गो पर लगने वाले टौल टैक्स** का भुगतान निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। भविष्य मे यदि नया टौल टैक्स लगता है तो, टौल टैक्स के भुगतान पर विचार किया जायेगा।
12. वाहन को संस्था के विपणन मार्ग में कही भी लगाया जा सकता है। संस्था को वाहन की आवश्यकता नही होने पर बिना कारण बताये **15 दिन** के नोटिस पर वाहन को हटाये जाने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित होगा।
13. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत दो दिन की दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की कीमत के बराबर **जमानत धनराशि** संघ कोषागार में नकद जमा करानी होगी।
14. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता द्वारा **पैन कार्ड, बैंक खाते नम्बर**, की छायाप्रति एक मॉह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स इत्यादि की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।
15. प्रत्येक निविदा पत्र का लिफाफा बन्द होना चाहिये। **₹5,000.00** (पांच हजार) रूपया बतौर अर्नेस्ट मनी नकद संघ कोषागार में जमा कर मूल रसीद/छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट जो <u>ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)</u> में देय हो, से भी अर्नेस्ट मनी जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। चैक, एफ.डी.आर. एवं पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा के साथ मान्य नहीं होगी।

16. निविदादाता द्वारा एक धरोहर राशि (**अर्नेस्ट मनी**) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेंगी।
17. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकारोप्रान्त किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि को हस्तान्तरित नहीं की जा सकेगी। यदि निविदादाता द्वारा अनुबंधावधि में अनुबंधित वाहन को हस्तांरित/बिक्री किया जाता है तब जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
18. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली **2025** के अधीन होगा।
19. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तों को भलि–भॉति पढ़कर हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्थायी पता (मोबाईल संख्या) सहित निविदा फार्म में संलग्न करना अनिवार्य है।
20. छोटे वाहन (**3.0** टन तक) के लिये ₹ **40.00** (चालीस) रूपया प्रति ट्रिप **लोडर चार्ज** पृथक से देय होगा, ड्राईवर एवं लोडर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
21. जिस मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जा रहा है, उन मार्गों पर कार्यरत निविदादाताओं को दैनिक आपूर्ति किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सम्पूर्ण कीमत नियमित रूप से संघ कोषागार में तद्तिथि को ही जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी।
22. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के **वारदाना** (केन अथवा क्रेट) को एक/दोनों पालियों में पूर्ण रूप से वापस करने का दायित्व निविदादाता का होगा। क्रेटों की कमी की दषा में कटौती मासिक रूप से सम्बन्धित के भुगतान बिलों से कर ली जायेगी। तद्पोरान्त भी क्रेट अथवा केन बकाया होने पर जमानत से वसूली की जायेगी।
23. यह कि दूध एवं दूध पदार्थों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को अपने वाहन को संस्था द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दुग्धशाला में लगानी होगी तथा समय सारिणी के अनुसार ही वाहन लोड करवाकर नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करनी होगी।
24. यह कि दुग्ध पदार्थों को धूप से बचाने हेतु निविदादाता को अपनी **वाहन में फाईबर/मोटे कपड़े का तिरपाल** लगाना होगा। वाहन में तिरपाल न लगाये जाने पर **अर्थिक दण्ड ₹100** (सौ) रूपया प्रतिदिन डाला जा सकता है।
25. प्रत्येक वाहन के लिये **चालक/परिचालक** की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी तथा इनका पूर्ण विवरण संस्था में देना होगा।
26. निविदादाता को निविदा स्वीृकत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को **जमानत धनराशि** संघ कोषागार में पूर्ण रूप में नकद जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ **₹**100 (एक सौ) मूल्य के नान–जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
27. निविदा फार्म में ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि विषेष परिस्थितियों में ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों मे किसी प्रकार की ओवरराईटिग मान्य नहीं होगी।
28. निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ (चालक एवं परिचालक) का ई.पी.एफ. नियमानुसार ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराना होगा। जिसका कोई भी उत्तदायित्व संस्था का नहीं होगा।
29. सरकार द्वारा वाहन पर लगाये जाने वाले समस्त कर आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा, इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा सरकार द्वारा जारी किए गए परिवहन से सम्बंधित आदेशो का परिपालन करने हेतु बाध्य होंगे।
30. निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेख किए गये वाहन का ही संचालन करना होगा। विषेश परिस्थितियों में सर्विसिंग, मरम्मत आदि कार्यो के कारण यदि दूसरा वाहन भेजा जाना आवश्यक होता है तो, इसकी स्वीकृति प्रधान प्रबन्धक से लेनी होगी। जिसकी अवधि अधिकतम एक सप्ताह होगी।
31. संस्था द्वारा निविदादाता को ऑचल दुग्ध विक्रेताओं को उनकी मॉगानुसार दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन करना होगा। वाहन क्षमता से अधिक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की माँग होने पर अतिरिक्त चक्कर लगाकर/स्वंय के संशाधनों से दुग्ध आपूर्ति करनी होगी।
32. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
33. निविदादाता से लिकेज दुग्ध की वापसी स्वीकार नहीं की जायेगी जिस पर आपूर्ति की गयी दुग्ध मात्रा प्रति क्रेट पर मु0 1.00 रु0 देय होगा। विषेष परिस्थिति मे ही बंद पैकेटों में (अनसोल्ड मिल्क) दूध वापसी प्रधान प्रबंधक की स्वीकृति उपरान्त स्वीकार की जा सकेगी।

34. निविदादाता द्वारा न्यूनतम् भार क्षमता के वाहन से अधिक क्षमता के वाहन लगाने पर संकरी गलियों में एजेंटों को अपने व्यय पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद पहुँचाने होंगे, जिसका संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा। ऐसा न करने पर निविदा निरस्त की जा सकती हैं।
35. कमीशन के आधार पर संचालित वाहन को उनके मार्ग पर पड़ने वाले आर्मी/संस्थाओं/होटलों आदि का दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के ढुलान का भुगतान उनकी सफल निविदा कमीशन स्वीकृत दरों पर आदेशानुसार भुगतान किया जायेगा।
36. वाहन प्रपत्रों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, गलत सूचना सिद्ध होने पर निविदा निरस्त व अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
37. निविदादाता **सरकार द्वारा निर्धारित नियमों** का पालन करने जैसे– वाहन की ढुलान क्षमता अनुसार वाहन का संचालन, वाहन के प्रपत्रों के नवीनीकरण आदि हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
38. यह कि संस्था में कार्यरत् कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावल, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

नियम संख्या 2(ग) :–

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नही, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी/सम्मिलित नही होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गयी हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नही होगा, या/सम्मिलित नही होगी जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है या जिसकी अभिरक्षा (**custody**) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

39. निविदा में तकनीकी बोली (Technical Bid) की शर्तो को पूर्ण करने के उपरांत ही (वित्तिय बोली) Financial Bid का लिफाफा खोला जायेगा।
40. संस्था द्वारा ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) का समय–समय में कार्य का मूल्यांकन (इवेलुएट) किया जायेगा यद्यपि ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) का कार्य असंतुष्ट पाये जाने के मामले में संस्था ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) को बर्खास्त, समाप्त और कॉन्ट्रैक्ट रोकने करने का अधिकार रखती है।
41. ट्रांसपोर्टर (निविदादाता) को प्रतिदिन माल ले जाते समय कन्साइनमेंट नोट डेरी में देना होगा और प्रतिदिन अपनी अकांउट सेल माल वापसी करते समय डेरी में देना होगा।
43. निविदादाता को फास टैग प्रणाली के अनुसार टॉल टैक्स का भुगतान स्वयं करना होगा।
44. सितारगंज प्रथम वाहन को खटीमा से सितारगंज तक आने जाने मे तय की गयी दूरी कुल 60 किमी का डीजल भुगतान संस्था द्वारा देय होगा।
45. बाजपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र से जसपुर रायपुर मार्ग मे चलने वाले 5000 लीटर क्षमता के दुग्ध टैंकर मे फ्लोमीटर लगाना अनिवार्य होगा, जिससे कि लूज जनता मिल्क का वितरण किया जा सके।
46. यह कि सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मो को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019–शासनादेश सं0 1542/vll-3-19/143–उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तो के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी । पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा ।
47. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के **प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा(ऊधमसिंहनगर)**के पास सुरक्षित होगा।
48. किसी भी प्रकार के विवाद में **निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)** का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

नोट–उपरोक्तानुसार निविदा के आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तो को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि–भॉति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार अपना वाहन **ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,खटीमा (ऊधमसिंहनगर)** में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूॅ।

उपयुक्त प्रविष्टियॉ मैने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनॉक...

पूरा पताः– ....

....

....

मोबाईल नम्बर–..

विवरण चार्ट
(विपणन अनुभाग मे वाहनों की आवश्यकता का विवरण)

क्र.सं.	मार्ग का नाम	पाली	वाहन का प्रकार	वर्तमान दुग्ध ढुलान (लीटर में)	अनुमानित दूरी (किमी0में)	अधिकतम् कमीशन दर (₹प्रति लीटर / कि0ग्रा0में)		मॉह जनवरी 2026 मे किये गये भुगतान की धनराशि
						दूध	समस्त दुग्ध उत्पाद की दरे	
1	जसपुर	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	500	80	**₹2.00**	**₹2.00**	42600.00
2	काशीपुर–01	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	800	35	**₹1.20**	**₹1.20**	36000.00
3	काशीपुर–02	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	800	35	**₹1.20**	**₹1.20**	31000.00
4	काशीपुर–03	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	800	35	**₹1.25**	**₹1.25**	38600.00
5	काशीपुर–04	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	300	80	**₹2.00**	**₹2.00**	37600.00
6	काशीपुर–05	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	600	40	**₹1.60**	**₹1.60**	41500.00
7	सुल्तानपुर पटटी	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	300	40	**₹1.90**	**₹1.90**	28675.00
8	बाजपुर लोकल	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	500	35	**₹1.90**	**₹1.90**	32230.00
9	गदरपुर	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	500	65	**₹1.90**	**₹1.90**	34500.00
10	गुलरभोज	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	500	60	**₹1.90**	**₹1.90**	25700.00
11	रूद्रपुर –3	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	1000	40	**₹1.30**	**₹1.30**	52600.00
12	रूद्रपुर –4	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	900	30	**₹1.30**	**₹1.30**	38700.00
13	रूद्रपुर–5	प्रातः	ई रिक्सा लोडर / समकक्ष	300	20	**₹2.00**	**₹2.00**	29000.00
14	रूद्रपुर –6	प्रातः	ई रिक्सा लोडर / समकक्ष	300	25	**₹2.00**	**₹2.00**	12900.00
15	रूद्रपुर –7	प्रातः	ई रिक्सा लोडर / समकक्ष	500	30	**₹2.00**	**₹2.00**	24700.00
16	रूद्रपुर –9	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	600	30	**₹1.25**	**₹1.25**	22100.00
17	रूद्रपुर ट्रांजिट कैम्प–01 मार्ग	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	1000	40	**₹1.30**	**₹1.30**	42187.00
18	रूद्रपुर ट्रांजिट कैम्प–02 मार्ग	प्रातः	ई रिक्सा लोडर / समकक्ष	600	40	**₹2.00**	**₹2.00**	24800.00
19	शान्तिपुरी मार्ग	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	800	90	**₹1.80**	**₹1.80**	37500.00
20	ए0टी0एम0–02 रूद्रपुर	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / सिमकक्ष	200	40	**₹4.50**	-	40054.00
21	किच्छा लोकल	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	850	30	**₹1.30**	**₹1.30**	40078.00
22	खटीमा सितारगंज–1	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	900	90	**₹1.60**	**₹1.60**	40078.00
23	खटीमा प्रथम	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	800	30	**₹1.30**	**₹1.30**	39000.00
24	खटीमा द्वितीय	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	300	45	**₹1.50**	**₹1.50**	38900.00
25	खटीमा पीलीभीत	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	400	100	**₹2.50**	**₹2.50**	49700.00
26	ए0टी0एम0खटीमा	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / समकक्ष	600	30	**₹2.80**	-	55200.00
27	ए0टी0एम0शक्तिफार्म	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / समकक्ष	500	90	**₹4.50**	-	52900.00
28	ए0टी0एम0पीलीभीत	प्रातः	टाटा ए0सी0ई0 / पिकअप समकक्ष	400	110	**₹4.50**	-	69000.00
29	बाजपुर जसपुर रायपुर	प्रातः	5000 लीटर क्षमता का दुग्ध टैंकर	3000 5000	100	**₹1.00**	-	-

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	विपणन मार्गो का अनुमानित रोडमैप
1	जसपुर	काशीपुर डीपो से आकांशा मार्बल, सूर्या, हरियावाला, कुण्डा, पतरामपुर,जसपुर, ठाकुरद्वारा, हरियावाला से काशीपुर डीपो।
2	काशीपुर–01	काशीपुर डीपो से चैती चौराहा, डिग्री कालेज रोड, कुण्डेश्वरी चौराहा, साईधाम कालौनी, गैस गोदाम, बासोवाला, जसपुर खुर्द, गढवालसभा, पशुपति बिहार, निझडा, दुर्गा कालौनी, गिरीताल, सैनिक कालौनी से वापस डिपो।
3	काशीपुर–02	काशीपुर डीपों से टाण्डा चौराहा, जसपुर अडडा, कविनगर, महेशपुरा, मझरा, टिचरी कालौनी, डाक्टर लाईन, नाग्नाथ, डिजाईन सेन्टर वापस डीपो।
4	काशीपुर–03	काशीपुर डीपो से माता मन्दिर रोड, कटोराताल, चीमा चौराहा, नई बस्ती, बैक कालौनी, मानपुर रोड, स्टेडियम रोड, कृष्णा हास्पिटल, गडडा कालौनी, रम्पुरा, हनुमान कालौनी, धनौरी पटटी से वापस डीपो।
5	काशीपुर–04	काशीपुर डीपों से, आवास विकास, वैसाली कालौनी, सुभाषनगर, खडगपुर, सुगरमिल, धीमरखेडा, पिपलिया रोड, महुवाखेडा, बासखेडा, फसियापुरा, ढकिया गुलाबो, छेना फार्म से डीपो।
6	काशीपुर–05	काशीपुर डीपो से रामपुरम, गलवलिया, राजाजीपुरम, टावर कालौनी, मंगल बाजार, बंगाली कालौनी, आई0जी0एल0, जैतपुर मोड, कुण्डेश्वरी, शिवलालपुर डल्लू, आई0आई0एम0, केलामोड, प्रतापपुर, गौशाला, चॉदपुर, पाण्डे कालौनी, आर्मी हेमपुर से वापस काशीपुर डीपो।
7	सुल्तानपुर पटटी	बाजपुर दोराहा से पटटी, मस्वासी, स्वार, दोराहा से केलाखेडा से वापस बाजपुर दोराहा।
8	बाजपुर लोकल	बाजपुर दोराहा से, बाजपुर लोकल, मुडियां, चकरपुर, बेरिया, बरहैनी से बाजपुर दोरहा।
9	गदरपुर	रूद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र से एन0डी0आर0एफ0, गुलरभोज रोड, मेन मार्केट, सकैनिया, सरदारनगर, चक्की मोड वापस रूद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र।
10	गुलरभोज	रूद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र से दिनेशपुर, कालीनगर, जयनगर, जाफरपुर, गुलरभोज वापस रूद्रपुर दुग्ध अवशीतन केन्द्र।
11	रूद्रपुर–03	अवशीतन केन्द्र आवास विकास, अटरिया रोड, सिडकुल, होटल रेडिशन वापस दुग्ध अवशीतन केन्द्र
12	रूद्रपुर–04	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से रोडवेज, आवास विकास, अटरिया रोड, पी0ए0सी0, ओमैक्स, मण्डी रोड, मण्डी, विकास भवन, मदकोटा वापस रूद्रपुर प्लान्ट।
13	रूद्रपुर –5	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से रूद्रा होटल, मलिक कालौनी, सिंह कालौनी, शान्तिबिहार, भूरारानी, वसुन्धरा वापस अवशीतन केन्द्र।
14	रूद्रपुर–6	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से बालाजी द्वार से गुरू समोसा से बंगाली कालौनी, इन्द्रा कालौनी, सुभाष कालौनी से वापस अवशीतन केन्द्र।
15	रूद्रपुर –7	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से माडल कालौनी से इन्द्रा चैाक से भदईपुरा से वापस सोनिया होटल से लालपुर से वापस रामनगर से वापस अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर।
16	रूद्रपुर–09	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से नैना कालौनी, एलाइन्स, भूरारानी, मदकोटा, छतरपुर, शारदा कालौनी वापस दुग्ध अवशीतन केन्द्र।
17	रूद्रपुर –ट्रांजिट कैम्प– 01 मार्ग	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से त्रिसूल चौराहा, भूतबंगला, रेशमबाडी, खेडा, ट्राजिट कैम्प, शिमला बहादुर पी0एस0सी, घास मण्डी वापस अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर।
18	रूद्रपुर –ट्रांजिट कैम्प– 02 मार्ग	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से मैडी सिटी, ठण्डी सडक, पशुआहार, जे0पी0एस.0, दक्ष, कौशल्या, आनन्द बिहार, तीनपानी डैम रोड,फुलसुगी, गंगापुर, देवभूमी से वापस अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर।
19	शान्त्पुरी मार्ग	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से, पी0एस0सी0, विकासभवन, हल्दी, बढी मार्केट, छोटी मार्केट, नगला, जवाहरनगर, शान्तिपुरी–02, शान्तिपुरी–03 वापस रूद्रपुर अवशीतन केन्द्र।
20	ए0टी0एम0–02 रूद्रपुर	अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर से ग्रीन पार्क, नैना कालौनी, एलाइन्स, डिबडिबा, सोढी कालौनी, ट्राजिट कैम्प, वसुन्धरा पार्क से दुग्ध अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर।
21	किच्छा लोकल	सिरौली चौराहा, रोडवेज, महाराणा प्रताप चौक, बण्डिया, किशनपुर, आवास विकास, गैस एजेन्सी, वापस सिरौली।
22	सितारगंज प्रथम	खटीमा दुग्धशाला से पहेनिया, झनकट, नानकमत्ता, मझोला, सितारगंज मार्केट, सिडकुल वापस खटीमा दुग्धशाला।
23	खटीमा प्रथम	खटीमा दुग्धशाला से कंजाबाग आर्शिवाद पैलेस, भूड महोलिया, कंजाबाग चौराहा से डिग्री कालेज ग्रीन पार्क से भूड टौल टैक्स,मेन मार्केट, लोहियाहैड रोड वापस खटीमा दुग्धशाला।
24	खटीमा द्वितीय	खटीमा दुग्धशाला से मेलाघाट, बंगाली बस्ती, झप्पूझाला, लालकोठी, गढीकोट, नारायणनगर, सुन्दरनगर, चकरपुर, लोहिया हैड से वापस खटीमा दुग्धशाला।

25	खटीमा पीलीभीत	खटीमा दुग्धशाला से ईस्टर फैक्ट्री से मझोला से न्यूरिया कलौनी से न्यूरिया बाजार से पीलीभीत, एस0एस0बी0 वापस खटीमा दुग्धशाला।
26	ए0टी0एम0खटीमा	दुग्धशाला खटीमा से कंजाबाग रोड, अमर कालौनी, कंजाबाग चौराहा, भूड, अमाउ, मुडेली, नहर रोड लोहियाहैड वापस खटीमा।
27	ए0टी0एम0 शक्तिफार्म	दुग्धशाला खटीमा से सुप्रिया कालौनी, ठाकुर नगर, चिन्तीमझरा, ईस्लाम नगर, कुर्वाचल कालौनी, अरविन्दनगर, राजनगर, निर्मलनगर, शक्तिफार्म बाजार, देव नगर, टैगोर नगर, बैकुण्ठपुर, पडागॉव वापस खटीमा।
28	ए0टी0एम0 पीलीभीत	दुग्धशाला खटीमा से मण्डी, चारूबेटा, सत्रहमिल, न्यूरिया कालौनी, न्यूरिया बाजार, पीलीभीत बाजार वापस खटीमा।
29	बाजपुर जसपुर रायपुर	दुग्ध अवशीतन केन्द्र बाजपुर दोरहा से रायपुर, मौ0पुर राजोरी, उदयपुर, हिदायदपुर अफजलगढ वापस बाजपुर दोराहा।

नोट– समान दरें आने पर नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।